2.20.4 गोपाल मंदिर

गोपाल मंदिर उज्जैन नगर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है. यह मंदिर नगर के मध्य व्यस्ततम क्षेत्र में स्थित है. मंदिर का निर्माण महाराज दौलतराव सिंधिया की महारानी बायजा बाई ने सन् 1833 के आसपास कराया था. मंदिर में कृष्ण (गोपाल) प्रतिमा है. मंदिर के चांदी के द्वार यहां का एक अन्य आकर्षण है.

2.20.5 गढ़कालिका देवी

गढ़कालिका देवी का यह मंदिर आज के उज्जैन नगर में प्राचीन अवंतिका नगरी क्षेत्र में है. कालजयी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे. इस प्राचीन मंदिर का सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख मिलता है.

2.20.6 भर्तृहरि गुफा

भतृहरि गुफा ग्याहरवीं सदी के एक मंदिर का अवशेष है, जिसका उत्तरवर्ती दौर में जीर्णोद्धार होता रहा.

2.20.7 काल भैरव

काल भैरव मंदिर उज्जैन नगर में स्थित प्राचीन अवंतिका नगरी के क्षेत्र में स्थित है. यह स्थल शिव के उपासकों के कापालिक सम्प्रदाय से संबंधित है. मंदिर के अंदर काल भैरव की विशाल प्रतिमा है. कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राज भद्रसेन ने कराया था. पुराणों में वर्णित अष्ट भैरव में काल भैरव का स्थान प्रमुख है.

2.20.8 मंशामन गणेश मंदिर

2.21 सिंहस्थ मेला क्षेत्र (पड़ाव क्षेत्र) एवं नियमन

मेला क्षेत्र में विकास से संबंधित गतिविधियों हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 11427, दिनांक 25-11-99/सिंहस्थ/लेखा/99, जो कि मध्य भारत सिंहस्थ अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्र. 27 सन् 1955) की धारा (1) की उप धारा (2) प्रभावशील होगी. मध्यप्रदेश शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर मेला क्षेत्र की सीमाओं को परिनिश्चित, परिवर्तन, परिवर्धित या अपवर्जित करने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा.

प्रत्येक बारह वर्ष में आने वाले सिंहस्थ हेतु क्षेत्र, आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा अधिसूचित किया जाता है. नियंत्रित मेला क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी (मेलाअधिकारी) की अनुमति से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, धार्मिक, आमोद-प्रमोद एवं दर्शनीय स्थलों इत्यादि के विस्तार व अन्य विकाय कार्य स्वीकार्य होंगे. इस क्षेत्र में निर्माण/विकास की अनुज्ञा कलेक्टर एवं मेला अधिकारी, उज्जैन के द्वारा अनुज्ञेय होने पर अन्य विभागों द्वारा तद्नानुसार अनुज्ञा/भवन निर्माण अनुमति दी जावेगी.

सिंहस्थ, 2004 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कुछ भूमियों को सिंहस्थ से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया है. राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ से भूमि मुक्त किये जाने पर, भूमि का प्रस्तावित उपयोग स्वतः ही आवासीय होकर एवं विकास योजना 2021 का अभिन्न अंग माना जावेगा.

दत्त अखाड़ा क्षेत्र में स्थाई रूप से पुलिस स्टेशन, अस्पताल, पोस्ट आफीस एवं पेट्रोल पम्प मान्य होंगे.